DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI
(PARLIAMENT CELL)
Room No.31, Punarvas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

No. DD/PC/DUSIB/D- 303 **dated:** 24/03/22

To,

The Dy. Secretary (Question Cell)
Delhi Legislative Assembly, Delhi-54

Subject:- Providing reply in r/o Un-Starred Question No. 100 dated 28.03.2022.

Please find enclosed herewith **100 copies** of reply of Un-Starred Question No. 100 raised by Sh. Somnath Bharti, Hon'ble MLA, duly approved by the Competent Authority.

Director (PC)
Phone No. 23378445

Copy to:-

Director (DIP) along with **150 copies.**

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
संसद प्रकोष्ट

पुनर्वास भवन, कमरा न0-31
आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्याः- 100
दिनांकः- 28-03-2022
प्रश्नकर्ता का नामः— श्री सोमनाथ भारती, माननीय विधायक

क्र०	प्रश्न	उत्तर
क	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में डीयूएसआईबी द्वारा मान्यताप्राप्त स्लम्स की जानकारी प्रदान करें, जिसमें झुग्गियों की संख्या व उनके स्वामित्व का विवरण सम्मिलित हो, इन स्लमों में किए गए सर्वेक्षणों की पूरी सूची भी उपलब्ध कराएँ ।	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में डीयूएसआईबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्लम्स की सूची इस प्रकार है :- 1. जगदंबा कैंप खिरकी गांव नियर सतपुरा नाला, क्लस्टर कोड संख्या 421 (कार्यालय दस्तावेज के अनुसार जुग्गी संख्या 143). भूमि स्वामित्व एजेंसी (दिल्ली विकास प्राधिकरण) 2. बाल्मीकि कैंप क्रीमेशन ग्राउंड बेगमपुर, क्लस्टर कोड संख्या 425 (कार्यालय दस्तावेज के अनुसार जुग्गी संख्या 600). भूमि स्वामित्व एजेंसी (दिल्ली विकास प्राधिकरण) 3. इंदिरा कैंप बेगमपुर कलस्टर कोड संख्या 426 (कार्यालय दस्तावेज के अनुसार जुग्गी संख्या522). भूमि स्वामित्व एजेंसी (दिल्ली विकास प्राधिकरण) 4. बाल्मीकि कैंप नवजीवन विहार मालवीय नगर क्लस्टर कोड संख्या 427 (कार्यालय दस्तावेज के अनुसार जुग्गी संख्या 16). भूमि स्वामित्व एजेंसी (दिल्ली विकास प्राधिकरण) इन स्लमो के सर्वेक्षणों की सूची डीडीए से संबंधित है।

ख	क्या झुग्गियों को आगे किसी और को भी बेचा जा सकता है।	यह झुग्गी मालिक का निजी निर्णय होता है। इसमें इसिब कोई भूमिका नहीं है।
ग	क्या सरकार की इन झुग्गीवासियों का "जहाँ झुग्गी वहाँ मकान" अथवा किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत पुनर्वास करने की कोई योजना है, और यदि हों, तो झुग्गी के बदले में दिया गया यह आवास झुग्गी भूमि के मूल मालिक को दिया जाएगा या भिन्न भिन्न मंजिलों पर रहने वाले व्यक्तियों को अलग अलग दिया जाएगा ।	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड पुनर्वास शाखा दिल्ली में सरकारी जमीन पर स्थित झुग्गीयों/जे.जे. बस्तीयों को पुनर्वासित करने के लिए एक नोडल एजेंसी का कार्य करता है। भू–स्वामी/सरकारी संस्थाओ/विभागो की सरकारी योजनाओ हेतु उनके निवेदन व पुनर्वास राशि जमा कराने के उपरान्त यह विभाग दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपडी पुनर्वास / पुनर्वासित नीति 2015 (अब मुख्यमंत्री आवास योजना) के अंतर्गत उन्हे पुनर्वासित करने की कार्यवाही करता है। उपरोक्त नीति के अनुसार भूतल एवं प्रथम तल पर रह रहे झुग्गीवासी को औपचारिकता पूरी होने पर फ्लैट आंवटन किया जाता है ।
घ	झुग्गियों के स्थान पर बहुमंजिली भवन बनाए जा रहे हैं, क्या इसकी अनुमति है, यदि नहीं, तो इनको नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी कौन है ; क्या पुलिस / नगर निगम को झुग्गी के स्थान पर बन रहे बहुमंजिली घरों को नियंत्रित करने का अधिकार है ।	जी हाँ, प्रक्रिया के अनुरूप अनुमति मिलने पर झुग्गियों के स्थान पर उनके पुनर्वास हेतु बहुमंजली भवन बनाए जा सकते है। नगर निगम उपरोक्त भवन निर्माण की अनुमति दे सकती है।
ड.	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मान्यताप्राप्त स्लमों में एमएलएलैड निधि से किए जा रहे कार्यों का विवरण उपलब्ध कराऐं ।	इस निधि से कोई कार्य नहीं किया गया है।
च	इंदिरा कैप के बस्ती विकास केंद्र के वर्तमान अधिवासी का विवरण प्रदान करे, क्या वस्ती विकास केंद्र का कोई "यूटिलिटी ऑडिट" किया गया है।	बस्ती विकास केंद्र इंदिरा कैंप का वर्तमान आवंटन सर्वेट ऑफ पीपल सोसाइटी के नाम है। इंदिरा कैप के बस्ती विकास केंद्र के वर्तमान अधिवासी ई.ई.सी-5, इुसिब, महारानी बाग नई दिल्ली है।
छ	वस्ती विकास केंद्र को किसी नए इच्छुक पक्ष को आवंटित किए जाने हेतु क्या मानक हैं, इस हेतु संपूर्ण मानक परिचालन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करें ।	17 वीं बोर्ड मिटिंग के निर्णय के अनुसार सभी गैर सरकारी संसथाओं का आवंटन अस्थाई रूप से बंद किया गया है।

ज	एफ ब्लॉक गुरुद्वारा के पीछे बनी हुई झुग्गियों की स्थिति क्या है, क्या वे किसी कानून के तहत संरक्षित है, यदि नहीं तो उनका भविष्य निर्धारित करने का अधिकार किसे है ?	यह झुग्गिया डीयूएसआईबी के अनलिस्टेड क्लस्टर के तहत आते हैं प्रश्न का दूसरा हिस्सा इस खंड Land Owning Agency, डीडीए से संबंधित है।
झ	क्या इन झुग्गियों का कोई सर्वे किया गया है यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें ?	इन झुग्गीयों का इूसिब की समाज शास्त्र शाखा द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

निदेशक (संसद प्रकोष्ट)

उप-सचिव(प्रश्न शाखा),पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.